



15/05/2022

पत्रांक लोक अदालत डेम्प में ललब
की गड़/पार्ली मय वकील उप.
पार्ली का दावा नोट-प्रेस में लोक
अदालत की भावना से विद्रो/खारिज
किया जा चुका है। अब इस पार्ली-पत्र
212 RTA का कोई आंकित नहीं रह
जाता है।

अतः पार्ली पत्र 212 RTA इसी
तर पर नोट-प्रेस में विद्रो/खारिज
किया जाता है।

पत्रावली कुलल सुमाट होकर
नम्बर से कम की जाकर वाजिल
कफर है।


अध्यक्ष
लोक अदालत
अराधुर


सदस्य
लोक अदालत
अराधुर